भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/विविध/4/1/2023 दिनांकः 10 जनवरी 2023

प्रति,

सभी जीवन बीमाकर्ता/साधारण बीमाकर्ता/स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता

विषयः आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022

यह परिपत्र आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 के विनियम 12 के अंतर्गत तथा आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ङ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है।

2. नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति के लिए आवेदनः

क) आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 के विनियम 3(घ) के उपबंधों के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार, बीमाकर्ता नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति के लिए बोर्ड के संकल्प की प्रति और नियुक्ति-पत्र की प्रति के साथ इस परिपत्र के अनुबंध-1 में दिये गये फार्मेट (फार्म आईआरडीएआई-एए-2) में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

ख) प्रत्येक वर्ष, बीमाकर्ता भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) द्वारा जारी किया गया नवीकृत विधिमान्य व्यवसाय प्रमाणपत्र (सीओपी) प्रस्तुत करेगा।

ग) उपर्युक्त विनियमों के विनियम 3(च) के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार, बीमाकर्ता पात्रता शर्तों में छूट, यदि कोई हो, के लिए अनुबंध-1 के साथ लिखित में एक अलग आवेदन प्रस्तुत करेगा।

3. बीमाकर्ता के दायित्वः

क) आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 के विनियम 10(ख) के प्रयोजन के लिए, जीवन बीमाकर्ताओं के पास कीमत-निर्धारण और मूल्यांकन प्रयोजनों के लिए 31 दिसंबर 2023 को या उसके पहले, नियुक्त बीमांकक के अतिरिक्त कम से कम दो बीमांकक होंगे।

ख) इसी प्रकार, साधारण, स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के पास 31 दिसंबर 2024 को या उसके पहले, कीमत-निर्धारण और मूल्यांकन प्रयोजनों के लिए, नियुक्त बीमांकक के अतिरिक्त कम से कम एक बीमांकक होगा।

एसपी

ग) नये बीमाकर्ताओं / पुनर्बीमाकर्ताओं को उपर्युक्त पैरा - 3(क) और 3(ख) के अंतर्गत उल्लिखित शर्तों से पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए छूट दी गई है।

4. <u>वर्तमान नियुक्त बीमांकक:</u>

क) उपर्युक्त विनियमों की अधिसूचना की तारीख की स्थिति के अनुसार एक सीमित अवधि के लिए विषय की विशेषज्ञता के संबंध में पात्रता शर्त की छूट पर नियुक्त किये गये वर्तमान नियुक्त बीमांकक ऐसी सीमित अवधि के बाद नियुक्त बीमांकक के रूप में कार्य करना जारी रख सकते हैं, बशर्ते कि नियुक्त बीमांकक शीर्षांकित विनियमों का अनुपालन करे। बीमाकर्ता ऐसे उदाहरणों में ऐसी सीमित अवधि की समाप्ति से पहले 30 दिन के अंदर नये फार्म आईआरडीएआई-एए-2 के साथ प्राधिकरण को सूचित करेगा।

ख) एक सीमित अवधि के लिए एक परामर्शक (मेंटर) बीमांकक की सहायता के साथ नियुक्त किये गये वर्तमान नियुक्त बीमांकक, परामर्शक (मेंटर) के बिना इस अवधि के बाद नियुक्त बीमांकक के रूप में कार्य करना जारी रख सकते हैं, बशर्ते कि नियुक्त बीमांकक स्टैंडअलोन आधार पर नियुक्त बीमांकक के रूप में कार्य करने के लिए शीर्षांकित विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करे। बीमाकर्ता नये फार्म आईआरडीएआई-एए-2 के साथ ऐसी सीमित अवधि की समाप्ति से पहले 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को सूचित करेगा।

ग) वर्तमान नियुक्त बीमांकक जो उपर्युक्त (क) और (ख) के अंतर्गत नहीं आते, शीर्षांकित विनियमों के विनियम 3(ग) के उपबंधों के अनुसार जारी रह सकते हैं।

यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होता है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एस पी

एस. पी. चक्रवर्ती

मुख्य महाप्रबंधक (बीमांकिक)

परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/विविध/4/1/2023 दिनांक 10.01.2023 का

अनुबंध-1

<u>फार्म आईआरडीएआई-एए-2</u>

आवेदक बीमांकक का विवरणः

1. बीमाकर्ता का नामः
2. बीमांकक का नामः
3. आवासीय पता टेलीफोन संख्या सहितः [पिछले पाँच वर्षों के दौरान आवासीय पते दिये जाएँ]

3.1 क्या सामान्यतः भारत का निवासी है?
(विनियम 3(ख)(i) देखें)

4. कार्यालयीन पता टेलीफोन संख्या के साथः
5. पुष्टि करें कि नियुक्त बीमांकक पूर्णकालिक नियोजन पर रहेगाः
(विनियम 3(ख)(vi) देखें)
6. जन्म-तिथि (दिन/माह/वर्ष):
(विनियम 3(ख)(x)) देखें)
7. मोबाइल संख्याः
8. ई-मेल पताः
9. वार्षिक पारिश्रमिक और अनुषंगी लाभः
10. भारतीय बीमा कंपनी (जिसके लिए आवेदक नियुक्त बीमांकक के रूप में प्रस्तावित है) और प्रवर्तक की कंपनियों में भी शेयरधारिता का प्रतिशत, यदि कोई होः
(विनियम 9 देखें)
11. व्यावसायिक अर्हताएँ :
(विनियम 3(ख)(ii)
12. कार्य अनुभवः

12.1. उप विनियम 3(ख)(iii)/3(ख)(iv)/3ख(v) के अनुसार संबंधित अनुभव का प्रदर्शनः

(क) कुल संबंधित अनुभव

क्रम सं.	संस्था का विवरण	पदनाम	कब से (दिन/माह/वर्ष)	कब तक (दिन/माह/वर्ष)	अवधि (महीनों में)	अनुभव का विवरण*
1						
...						

कुल						

(*जीवन/स्वास्थ्य/साधारण के संबंधित क्षेत्र में अनुभव स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें)

(ख) उपर्युक्त (क) में से फेलोशिप के बाद का अनुभव

क्रम सं.	संस्था का विवरण	पदनाम	कब से (दिन/माह/वर्ष)	कब तक (दिन/माह/वर्ष)	अवधि (महीनों में)	अनुभव का विवरण*
1						
...						
कुल						

(3(ख)(iii)(ख)/ 3(ख)(iv)(ख)/ 3(ख)(v)(ख) के प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से अनुभव निर्दिष्ट करें : वार्षिक सांविधिक मूल्यांकन/ उत्पाद कीमत-निर्धारण/ समकक्ष समीक्षक/ स्वतंत्र बीमांकक/ पैनल बीमांकक/ प्रमाणकर्ता बीमांकक/ बीमांकक परामर्श-कार्य/ जीवन/ स्वास्थ्य/ साधारण के संबंधित क्षेत्र में प्राधिकरण के पास संबंधित अनुभव)

(ग) मध्यम / वरिष्ठ स्तरीय प्रबंध का अनुभव

क्रम सं.	संस्था का विवरण	पदनाम	कब से (दिन/माह/वर्ष)	कब तक (दिन/माह/वर्ष)	अवधि (महीनों में)	अनुभव का विवरण
1						
...						
कुल						

13. वर्तमान में या पूर्व में उपलब्धियाँ और धारित विशेष पदः

14. किन्हीं अन्य फर्मों अथवा कंपनियों के नाम, निगमन के देश, पते और प्रधान कार्यकलाप, जिनमें आवेदक वर्तमान में एक निदेशक, भागीदार, स्वामी, कर्मचारी, परामर्शदाता, समकक्ष समीक्षक, लाभ समिति के पास स्वतंत्र बीमांकक, नियुक्त बीमांकक का परामर्शक (मेंटर) अथवा पुनर्बीमा विवरणियों का प्रमाणकर्ता बीमांकक है अथवा पूर्व में रहा है।

क्रम सं.	संस्था का विवरण (नाम, निगमन का देश आदि...)	पदनाम	कब से	कब तक	अवधि (महीनों में)	कार्य की रूपरेखा

1						
...						
कुल						

15. व्यवसाय प्रमाणपत्र (सीओपी) का ब्योरा और विधिमान्यता की अवधि (विनियम 3(ख)(ix) देखें)):
16. भारत में या अन्यत्र अपराधों के लिए किसी भी आपराधिक दोषसिद्धि का विवरणः
17. क्या आवेदक को पिछले दस वर्षों के दौरान दिवालिये के रूप में निर्णीत किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें:
18. क्या किसी व्यावसायिक निकाय अथवा किसी बीमा विनियमनकर्ता या किसी अन्य संस्था द्वारा कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई है अथवा प्रारंभ की गई है? यदि हाँ, तो विवरण दें (विनियम 3(ख)(vii) देखें):
19. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 के विनियम 9 और विनियम 10(घ) के अनुसार हितों के संघर्ष के संबंध में घोषणाः

मैं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 के अनुसार कार्य करूँगा/करूँगी तथा मैं ऐसी किसी अन्य क्षमता में कार्य नहीं करूँगा/ नहीं करूँगी जो इन विनियमों के अनुसार नियुक्त बीमांकक के रूप में मेरी भूमिका का कार्यनिष्पादन करने में हितों के किसी संघर्ष में परिणत हो सकती है।

आवेदक बीमांकक द्वारा प्रमाणीकरण

मैं .... (बीमांकक का नाम), इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि इस फार्म में प्रस्तुत की गई सूचना और घोषणा संपूर्ण, यथार्थ और सही है। मैं निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वयं-साक्ष्यांकित प्रतियाँ भी संलग्न कर रहा हूँ/ कर रही हूँ :

1. भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किया गया फेलोशिप प्रमाणपत्र;
2. भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किया गया नवीनतम व्यवसाय प्रमाणपत्र;
3. विशेषज्ञता के विषय में उत्तीर्णता के लिए दस्तावेजी प्रमाण;
4. कोई अन्य संबंधित दस्तावेज (दस्तावेजों की सूची)

बीमांकक के हस्ताक्षर

स्थानः

दिनांकः

बीमाकर्ता के प्रधान अधिकारी / सीईओ द्वारा प्रमाणीकरणः

प्रस्तावित आवेदक बीमांकक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, मैं............(नाम), ... (बीमाकर्ता का नाम) का प्रधान अधिकारी/ सीईओ इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि *

1. प्रस्तावित बीमांकक .... (नाम) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।
2. प्रस्तावित बीमांकक .... (नाम) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 की निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता। (उन अपेक्षाओं का उल्लेख करें जिनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा साथ ही उन विनियामक उपबंधों का उपयुक्त संदर्भ दें जिनके लिए उपर्युक्त विनियमों के विनियम 3(च) के अंतर्गत अलग से अनुरोध किया गया है)

(* जो लागू न हो, उसे काट दें)

प्रधान अधिकारी / सीईओ के हस्ताक्षर

स्थानः

दिनांकः